भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2066

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथकर संग्रह रोकना

†2066. श्री तमिलसेल्वन थंगा:

डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि नए वाहन खरीदार से आरटीओ पंजीकरण शुल्क और बीमा प्रीमियम के अलावा यात्री वाहनों के लिए वाहन के आकार, इंजन क्षमता और ईंधन के प्रकार के आधार पर विभिन्न दरों पर विभिन्न कर वसूले जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए पथकर वसूलने को रोकने और देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी पथकर प्लाजाओं को हटाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 57 के अनुसार, ट्रामकार सहित सड़क पर चलने योग्य वाहनों, चाहे वे यांत्रिक रूप से चालित हैं या नहीं, पर कर लगाने का विषय, सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 35 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्यों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त, यांत्रिक रूप से चालित वाहन, जिनमें ऐसे वाहनों पर कर लगाने के सिद्धांत भी शामिल हैं, सूची III (समवर्ती सूची) के अंतर्गत आते हैं। अतः, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, मोटर वाहनों पर कर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

इसके अलावा, केंद्रीय मोटर यान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 के नियम 81 के तहत मोटर वाहनों का पंजीकरण शुल्क विर्निदिष्ट किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग के पूर्ण हो चुके खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और संबंधित रियायत करारों के प्रावधानों के अनुसार, देश भर में एक समान रूप से वसूला जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा संचालित शुल्क प्लाजा के मामले में, रियायत करार के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक रियायतग्राही द्वारा संग्रहित किया जाता है और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, शुल्क प्लाजा सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार, केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा शुल्क संग्रहित किया जाता है। सार्वजनिक वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत आने वाले शुल्क प्लाजा के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे खंड के लिए देय शुल्क का संग्रहण जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण से एकत्रित राजस्व भारत की संचित निधि (सीएफआई) में जमा किया जाता है और बजटीय आवंटन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के आगे के रखरखाव, विकास और संवर्धन के लिए किया जाता है।
